उत्तर प्रदेश स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट

शक्ति भवन (विस्तार), 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ–226001

संख्याः 272/ट्रस्ट/पेंशन दिनाँक 16/03/2018

ई–मेल
स्पीड पोस्ट

उपमहाप्रबन्धक/उपमुख्य लेखाधिकारी,
क्षेत्रीय लेखा कार्यालय(सा०प्र०/वितरण),
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वान्चल,
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड/उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड/केस्को।

'महत्वपूर्ण'

विषय :– सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेंशन, उपादान, राशिकारणा, पेंशन एरियर एवं अनन्तिम उपादान के सापेक्ष निधि मांग के सम्बन्ध में।

कृपया ऊर्जा क्षेत्र के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग की अनुरूपता में देय पेंशनरी लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश एवं उसके उपरान्त उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1320–पे० एवं आर०–28/पाकालि/2017–60–पी/98 (टी०सी०–01) दिनांक 29.12.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में अवगत है कि शासनादेश संख्या 01/2016/41/24–पी०–2–16–सा०(84)/2014 दिनाँक 13.01.2016 के अनुपालन में दिनांक 29.02.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत हुए कार्मिकों की उपादान, राशिकरण एवं पेंशन एरियर सम्बन्धित निधि मांग ट्रस्ट कार्यालय को प्रेषित की जा रही है एवं 29.02.2016 तक पेंशन का भुगतान करने के पश्चात कोषागार से भुगतान हेतु प्रकरण अग्रसारित किये जा रहें है।

उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में पुनरीक्षण फलस्वरूप दिनाँक 29.02.2016 के पूर्व एवं उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिकों के सम्बन्ध में निम्नवत् बिन्दुवार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें :–

1. दिनांक 29.02.2016 को एवं उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिकों से सम्बन्धित पेंशन, उपादान, राशिकरण आदि के भुगतान कोषागार के माध्यम से ससमय किये जा रहे है। अतः दिनांक 29.02.2016 को एंव उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिकों से सम्बन्धित पेंशन, उपादान आदि कार्यालय से ससमय भुगतान कराने के उद्देश्य से अन्तिम रूप से प्राधिकृत की जाये एंव अनन्तिम पेंशन एवं अनन्तिम उपादान नियमानुसार कार्मिको के हित में अपरिहार्य परिस्थिति में ही प्राधिकृत की जाये। दिनांक 29.02.2016 को एवं उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिकों की स्वीकृत अनन्तिम ग्रेच्युटी का ट्रस्ट स्तर पर तत्काल निधि उपल्बधता न होने के कारण भुगतान में विलम्ब होता है जबकि अन्तिम ग्रेच्युटी का भुगतान कोषागार से ससमय किया जा रहा है। अतएव दिनांक 01/01/2018 के बाद स्वीकृत अनन्तिम ग्रेच्युटी के प्रकरणो की समीक्षा भी की जा सकती है। आवश्यक निधि की अनुउपलब्धता के कारण अनन्तिम ग्रेच्युटी के ट्रस्ट स्तर से भुगतान में विलम्ब होता है जबकि अन्तिम ग्रेच्युटी का भुगतान कोषागार से ससमय किया जा रहा है।
2. दिनांक 28.02.2016 तक सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिकों से सम्बन्धित अवशेष उपादान, राशिकरण का भुगतान ट्रस्ट द्वारा किया जाना है एवं दिनाँक 31.12.2017 तक पेंशन अवशेष के भुगतान के संबंध में आदेश होने के उपरान्त ही कोई कार्यवाही की जानी है। अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि सातवें वेतन आयोग की अनुरूपता में 28/2/16 तक सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिको से सम्बन्धित पुनरीक्षित अवशेष उपादान, राशिकरण एवं अनन्तिम उपादान से संबन्धित निधि मांग अलग से प्रतिमाह अग्रसारित करना सुनिश्चित करें।
3. इस सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि पेंशन उपादान, राशिकरण, पेंशन एरियर एवं अनन्तिम उपादान से सम्बन्धित सकल देयता के सापेक्ष भुगतान किये जा रहे है एवं बिजली कटौती एवं अन्य प्रत्याप्ति आदि का भुगतान करने के पश्चात ही पेंशन वितरण ईकाई स्तर पर बची अधिक धनराशि ट्रस्ट को वापिस किया जाना है।
4. सातवे वेतन आयोग के अन्तर्गत अनन्तिम पेंशन एवं अनन्तिम उपादान के संबंध में कार्यवाही उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप एवं संबधित शासनादेश की अनुरूपता में नियमानुसार कराना सुनिश्चित करें।

अग्रतेर संज्ञानित कराना है कि विभिन्न खण्डों/डिस्कॉम से समान्य भविष्य निधि अभिदान पेंशन एवं उपादान सम्बन्धित अंशदान, सी०पी०एफ० अंशदान (कार्मिक/नियोक्ता अंशदान) एवं ब्याज, आधिक्य आदि की धनराशि जो सचिव उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट (पेंशन फण्ड/सा०भ०नि० फण्ड) अथवा सचिव उत्तर प्रदेश पावर

कारपोरेशन लिमिटेड–सी०पी०एफ० ट्रस्ट लखनऊ के पक्ष में प्राप्त होता है, का पूर्ण भुगतान विवरण मदवार त्वरित प्राप्त न होने के कारण कोषागार को किये जाने वाले मासिक पेंशनरी अंशदान का भुगतान ससमय प्रेषित करने में विलम्ब होता है एवं सम्बन्धित कम्पनी/इकाई के खाते में एवं मद में ससमय धनराशि का लेखांकन नहीं हो पाता है। अतः अनुरोध करना है कि उपरोक्तानुसार भुगतान धनराशि की सूचना अविलम्ब ई–मेल द्वारा एवं स्पीड–पोस्ट द्वारा निम्नवत् विवरण अनुसार मदवार सूचना अलग–अलग उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर इम्प्लादज ट्रस्ट एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड–अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट को प्रेषित करने का कष्ट करें :–

कम संख्या	म्दवार विवरण	देय माह	भुगतान माह	धनराशि रू०	भुगतान विवरण–चैंक/बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक, NEFT/RTGS के सापेक्ष UTR NO. DATE BANK NAME, PLACE सहित	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	समान्य भविष्य निधि अभिदान अग्रिम वापसी सहित					
2.	अंशदायी भविष्य निधि अंशदान अग्रिम वापसी एवं नियोक्ता अंशदान सहित					
3.	पेंशनरी अशंदान (मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते पर 19.08 प्रतिशत दर से कार्यरत कार्मिकों की संख्या सहित)					
4.	ईपीएफ कार्मिक/नियोक्ता अंशदान (सामान्य भविष्य निधि फन्ड एवं पेंशन फन्ड) के लिए अलग–अलग प्रारूप के सहित प्रेषित करना।					
5.	अन्य धनराशि (प्राप्त विवरण एवं वापिसी के कारण सहित)					

15/3/14

(पी०के० गुप्ता)
महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) एवं सचिव
(ट्रस्ट)

संख्याः 272 /ट्रस्ट/पेंशन तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (वित्त) पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वान्चल, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड/उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड।

ई–मेल
स्पीड पोस्ट

2. महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वान्चल, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड/उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड।
3. उपमहाप्रबन्धक/उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय(पारेषण मध्य/दक्षिण/पूर्व/पश्चिम)
4. अधिशासी अभियंता (कम्प्यूटर) को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

15/3/10

(पी०के० गुप्ता)
महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) एवं सचिव
(ट्रस्ट)